संख्या:881/2023 /2832/35-4-2023/35-4099/108/2021

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 14 नवम्बर, 2023

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक की लागत पुनरीक्षित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र-फरीदपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक, उमेदपुर भुता, फरीदपुर, बरेली के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-14/2020/253/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू. 1797.52 लाख (+जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-33/2021/589/35-4-2021, दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 269.63 लाख, शासनादेश संख्या-119/2021/1219(1)/35-4-2021 दिनांक 03 अगस्त, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 878.51 लाख तथा शासनादेश संख्या-203/2022/686/35-4-2022/001/35-4099/108/2021 दिनांक 04 जुलाई , 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू. 359.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू. 1707.64 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। जिलाधिकारी, बरेली के पत्र संख्या-730/त्व0आ0वि0यो0/2019-20 दिनांक 27 जून, 2023 द्वारा परियोजना हेतु जी0एस0टी0 एवं विद्युत कनेक्शन के अन्तर की धनराशि हेतु की गयी संस्तुति के क्रम में रू. 1977.86 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ सतहत्तर लाख छियासी हजार मात्र) की लागत पर निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परियोजना को पुनरीक्षित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	**अनुमोदित लागत**	**पुनरीक्षित लागत** (जीएसटी सहित)
राजकीय पॉलीटेक्निक, उमेदपुर भुता, फरीदपुर, बरेली	1797.52	1977.86

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, दिनांक 04 मार्च, 2021, दिनांक 03 अगस्त, 2021 एंव 04 जुलाई, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।
3. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
4. जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. पुनरीक्षित आगणन में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. परियोजना का निर्माण निर्धारित समयावधि में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का कोई और पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-5-122-दस-2023-24 दिनांक- 09 नवम्बर, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:881/2023 /2832(1)/35-4-2023/35-4099/108/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, बरेली।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स,लखनऊ।
10-मुख्य विकास अधिकारी,बरेली।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली।
12-सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,बरेली।
15- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बरेली।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।